



ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य प्रणाली तथा मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया का परिचय

ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य प्रणाली

ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभाविता तथा कार्यकुशलता, दोनों के ही संदर्भ में विश्वस्तरीय माना जाता है। इस प्रणाली में सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलियाई सरकार - राष्ट्रीय नीतियों, विनियमों तथा वित्त-पोषण के लिए उत्तरदायी है
- राज्य, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारें - लोक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने और उनका प्रबन्धन करने और अधिकांश स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं
- निजी चिकित्सक - जिनमें सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा परामर्शी चिकित्सक शामिल हैं
- लाभार्थ तथा धर्मार्थ संगठन तथा स्वैच्छिक एजेन्सियां।

ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में आप स्वास्थ्य और आयुर्वृद्धि विभाग (Department of Health and Ageing) की वेबसाइट www.health.gov.au से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया क्या है?

मानव सेवा पोर्टफोलियो के अंतर्गत मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक एजेन्सी है। इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत मानव सेवाएँ विभाग (Department of Human Services) शामिल है, जिसमें शिशु सहायता एजेंसी (Child Support Agency) तथा सी आर एस ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तथा मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया, सेंटरलिंग तथा हियरिंग ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

मानव सेवा पोर्टफोलियो ऐसे व्यक्तियों तथा सेवाओं से संबंधित है जिनकी आवश्यकता उनको अपने जीवन के भिन्न-भिन्न चरणों में पड़ सकती है। इस पोर्टफोलियो की प्राथमिक भूमिका विभिन्न सरकारी सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के विकास में सुधार करना तथा ऑस्ट्रेलियाई जनता को उपलब्ध कराना है। ऑस्ट्रेलिया के सार्वभौमिक स्वास्थ्य वित्त-पोषण कार्यक्रमों को मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- मेडिकेयर- ऑस्ट्रेलिया का सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
- औषधि लाभ योजना
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार की 30% निजी स्वास्थ्य बीमा छूट
- ऑस्ट्रेलियाई बाल्यावस्था प्रतिरक्षण रजिस्टर
- ऑस्ट्रेलियाई अंग दाता रजिस्टर
- विशेष सहायता योजनाएँ (बाली 2005 विशेष सहायता, लंदन असिस्ट, सुनामी स्वास्थ्य देखभाल सहायता योजना तथा बालीमेड)
- परिवार सहायता कार्यालय (Family Assistance Office) ऑस्ट्रेलिया की अन्य सरकारी एजेन्सियों के साथ रिपैट्रिएशन फार्मास्यूटिकल्स बनेफिट्स स्कीम सहित सेनानिवृत्त व्यक्तियों के मामलों के विभाग (Department of Veterans' Affairs), श्रवण सेवाएँ कार्यालय (Office of

Hearing Services) तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विभाग (Department of Western Australia) के लिए दावों को प्रसंस्कृत तथा उनका भुगतान करता है।

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया स्वास्थ्य और आयुर्वृद्धि विभाग के साथ मिल कर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की स्वास्थ्य नीति से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। हमारे कार्य-कलापों का संचालन स्वास्थ्य और आयुर्वृद्धि विभाग, सेनानिवृत्त व्यक्तियों के मामलों के विभाग, व परिवार, आवास, सामुदायिक सेवाओं और देशज व्यक्तियों के मामलों के विभाग (Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs) द्वारा तथा संबंधित विधानों के अंतर्गत तैयार की गई सरकारी नीति अवरचना के अंतर्गत किया जाता है।

आप हमारी वेबसाइट www.medicareaustralia.gov.au पर मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया के अनुवादित जानकारी किट

निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए हमारे पास अनुवादित जानकारी उपलब्ध है।

- मेडिकेयर
- औषधि लाभ योजना (Pharmaceutical Benefits Scheme)
- ऑस्ट्रेलियाई बाल्यावस्था प्रतिरक्षण रजिस्टर (Australian Childhood Immunisation Register)
- ऑस्ट्रेलियाई अंग दाता रजिस्टर (Australian Organ Donor Register)
- मेडिकेयर किशोर दन्त योजना (Medicare Teen Dental plan)
- बाह्य स्तन प्रोस्थेसिस प्रतिपूर्ति कार्यक्रम (External breast prostheses reimbursement program)
- राष्ट्रीय आँत का कैंसर जाँच कार्यक्रम (National Bowel Cancer Screening Program)

हमारे पास निम्नलिखित के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध है:

- मेडिकेयर इलेक्ट्रॉनिक क्लेमिंग
- परिवार सहायता कार्यालय
- पी बी एस दवाओं को प्राप्त करना तथा विदेशों में भेजना
- सुरक्षित रूप से दवाओं का सेवन
- आजीवन स्वास्थ्य कवर (स्वास्थ्य और आयुर्वृद्धि विभाग)

आप इन सभी तथ्य-पत्रकों को हमारी वेबसाइट www.medicareaustralia.gov.au से अथवा किसी भी मेडिकेयर कार्यालय से प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सेवाएं

मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया से उपलब्ध जानकारी और सेवाओं को देखना, उनको अद्यतन बनाना तथा उनके लिए अनुरोध करना सरल हो जाता है।

हमारी ऑनलाइन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको पंजीकरण करवाने तथा एक पासवर्ड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन सेवाओं हेतु पंजीकरण करवाने के लिए वेबसाइट www.medicareaustralia.gov.au/online देखें या फिर अपने निकटतम मेडिकर कार्यालय में जाएं। अपने साथ अपना मेडिकेयर कार्ड ले जाना न भूलें।

ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक बार पंजीकरण करवा लेने के बाद आप:

- मेडिकेयर कार्ड को बदलने अथवा प्रतिस्थापन मेडिकेयर कार्ड के लिए अनुरोध कर सकते/सकती हैं
- अपने बैंक खाते संबंधी ब्यौरे को पंजीकृत तथा अद्यतन बना सकते/सकती हैं
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी को देख सकते/सकती हैं तथा इसे अद्यतन बना सकते/सकती हैं
- अपने मेडिकेयर दावों से संबंधित इतिहास को देख सकते/सकती हैं
- अपने मेडिकेयर सेफ्टी नेट शेष को देख सकते/सकती हैं
- अपने मेडिकेयर लाभ कर विवरण को देख सकते/सकती हैं
- अपने बच्चे के टीकाकरण इतिहास विवरण को देख सकते/सकती हैं
- अपने अंगदान पंजीकरण ब्यौरे को देख सकते/सकती हैं।

क्या आपको हमारी जानकारी को समझने के लिए सहायता की आवश्यकता है?

अपनी प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग न करने वाले व्यक्ति

यदि आपको अपनी भाषा में जानकारी चाहिए, तो कृपया किसी मेडिकेयर अधिकारी से अनुरोध करें अथवा 131 450* पर अनुवाद और दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service [TIS]) के लिए निवेदन करें। तब आपको अपना फोन नम्बर देना होगा। यह एक ऑस्ट्रेलियाई सामुदायिक सेवा है, जहां आप अपनी पूछताछ में सहायता के लिए अपनी भाषा में दुभाषिये के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं। जब आप हमारी सेवाओं के बारे में प्रश्न पूछेंगे/पूछेंगी, तो हम टी आई एस के दुभाषिये के लिए भुगतान करेंगे।

सुनने अथवा बोलने में असमर्थ व्यक्ति

यदि आप सुनने अथवा बोलने में असमर्थ हों, तो आप 1800 552 152** पर हमारी टेलीफोन टाइपराइटर (टी टी वाई) सेवा पर कॉल कर सकते/सकती हैं। हमारे टी टी वाई टेलीफोन नम्बर पर कॉल करने के लिए आपको टी टी वाई टेलीफोन की आवश्यकता होगी।

अधिक जानकारी के लिए लिए

ऑनलाइन www.medicareaustralia.gov.au

ईमेल medicare@medicareaustralia.gov.au

पत्र-व्यवहार **Medicare Australia**
GPO Box 9822
आपके राजधानी शहर में

कॉल 132 011*

टी टी वाई 1800 552 152** (सुनने तथा बोलने में असमर्थ व्यक्ति)

टी आई एस 131 450* (अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा)

*कॉल प्रभार लागू होते हैं।

**कॉल प्रभार केवल मोबाइल तथा पे फोनों पर ही लागू होते हैं।